निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानें बंद रहेगी

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, भिलाई सीमा के अन्तर्गत संचालित पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें दिसम्बर माह के 2 तिथियों में बंद रहेगी। शासन से जारी आदेश के तहत संत तारण तरण जयंती 07 दिसम्बर दिन शनिवार एवं गुरू घांसीदास जयंती 18 दिसम्बर दिन बुधवार को समस्त पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्र को बंद रखा जाएगा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।